

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 नवम्बर, 2010

संख्या एल0 एल0 आर0-डी0(6)-38/2010-लेज.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 12-11-2010 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश संख्यांक 10) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा,
(अवतार चन्द डोगरा)
सचिव (विधि)।

2010 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 10

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2010

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं :—

1. संक्षिप्त नाम.—इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2010 है।

2. धारा 2 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (घ) में “माल के विनिर्माण” शब्दों के पश्चात् “की प्रक्रिया में प्रयुक्त संयन्त्र, मशीनरी या” शब्दों के स्थान पर, “प्रसंस्करण और पैकिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त संयन्त्र, मशीनरी या हाइड्रोलिक मोबाइल पिक एण्ड कैरी क्रेन सहित” चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे।

3. धारा 16 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 16 में,—

- (क) उपधारा (3) में “ऐसी विवरणियां,” शब्दों और चिन्ह के पश्चात् “मैनुअली या इलैक्ट्रोनिकली,” शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।; और
- (ख) उपधारा (4) में “विहित रीति में,” शब्दों और चिन्ह के पश्चात् “मैनुअली या इलैक्ट्रोनिकली,” शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

उर्मिला सिंह,

ए० सी० डोगरा,
सचिव (विधि) ।

शिमला :
तारीख :, 2010

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H.P. Ordinance No. 10 of 2010.

THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ORDINANCE, 2010

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Sixty-first year of the Republic of India.

AN

ORDINANCE

further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005).

WHEREAS, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. Short title.—This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2010.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, (12 of 2005) hereinafter referred to as the principal Act), in clause (d), after the words "or equipment", the words "including hydraulic mobile pick and carry cranes" shall be inserted.

3. Amendment of section 16.—In section 16 of the principal Act,—

- (a) in sub-section (3), after the words "furnish such returns", the words "manually or electronically" shall be inserted.; and
- (b) in sub-section (4), after the words and sign "prescribed manner, pay", the words "manually or electronically: shall be inserted.

URMILA SINGH,
Governor.

A. C. DOGRA,
Secretary (Law).

SHIMLA :

Dated :....., 2010